

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
हरीलाल पुत्र मदनलाल जाति जांगिड़ सा. जसराना तहसील कुचामनसिटी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर <b>229 /2023</b>		GCMS No. 2023/ <b>375</b>
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए	
10.07.2023	<p>वादी/प्रार्थी हरीलाल पुत्र मदनलाल जाति जांगिड़ सा. जसराना तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 राहत शिविर" के दौरान प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण की जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। वाद/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्बत 2074-2077 ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर 249 प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थी के नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि हरलाल पुत्र मदनलाल जाति जांगिड़ सा. जसराना खातेदार दर्ज है, जो कि अशुद्ध है।</p> <p>वादी/प्रार्थी का शुद्ध हरीलाल पुत्र मदनलाल जाति जांगिड़ सा. जसराना खातेदार है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार कार्ड, पेन कार्ड, की छाया प्रति इत्यादि प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी कुचामनसिटी भू.अ.नि. कुचामनसिटी तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादी का नाम शुद्ध किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजात, पटवारी हल्का, नि.भू.अ., तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से साबित है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )

